

अत्यावश्यक
नगरपालिका आम/उप निर्वाचन-2025



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या- न0नि0-50-32/2025.....

2297

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा भा.प्र.से.
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
-सह-जिला पदाधिकारी
(नवादा, औरंगाबाद, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा
किशनगंज, शेखपुरा, एवं जमुई जिला को छोड़कर)।

पटना, दिनांक- 28.5.25

विषय :- नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025; आदर्श आचार संहिता संबंधी दैनिक प्रतिवेदन की प्रविष्टि आयोग के पोर्टल पर करने के संबंध में।

प्रसंग:- आयोग के पत्रांक-2228, दिनांक-24.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 संपन्न कराये जाने के निमित्त विस्तृत कार्यक्रम प्रेषित किया जा चुका है तथा पत्र की कंडिका-04 में अंकित है कि निर्वाचन कराये जाने वाले सभी संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गए हैं। उक्त क्रम में आदर्श आचार संहिता अनुपालन से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन की प्रविष्टि आयोग के वेबसाईट पर तैयार किये गए विहित प्रपत्र में (MCC I, MCC-IA and MCC II) प्रतिदिन नियमित रूप किया जाना है।

अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर आदर्श आचार संहिता से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन की प्रविष्टि आयोग के पोर्टल पर नियमित रूप से किये जाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए, ताकि दैनिक प्रतिवेदन आयुक्त महोदय के समक्ष अवलोकन हेतु प्रतिदिन उपस्थापित किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

सचिव।

पटना, दिनांक 28.5.25

ज्ञाप संख्या- 2297

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भवदीय स्तर से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी को उक्त प्रतिवेदन प्रतिदिन ससमय आयोग के पोर्टल पर प्रविष्टि करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

सचिव।